डिजीटल एड्रेसिबल केबल टीवी पर ट्राई द्वारा जारी कन्सल्टेशन पेपर्स (22 दिसम्बर 2011), पर सुझाव -

भारतीय केबल टीवी आपरेटरों की राष्ट्रीय संस्था **''आल इण्डिया आविष्कार डिश एन्टिना संघ''** की स्थापना 1993 में हुई थी, तब देश में केबल टीवी व्यवसाय पूरी तरह से अपने शैशवकाल में ही था। ट्राई द्वारा जारी कन्सल्टेशन पेपर के इन्ट्रोकक्शन (ii) पैरा में बताया गया है कि भारत में प्रथम पे चैनल 1995 में शुरू हुआ था, जबकि देश का प्रथम पे चैनल स्टार मूवी (अग्रेंजी फिल्मों का) 19 सितम्बर 1994 को आरम्भ हुआ था। पैरा (iii) में बताया गया है कि 1995 में लगभग 20 पे चैनल प्रचलन में थे, जबकि मात्र दो पे चैनल जी सिनेमा एवं ई.एस.पी.एन ही 1995 में शुरू हुए थे। 1995 तक कुल तीन पे चैनल ही उपलब्ध थे। पैरा (iv) में सीधे 5 अगस्त 2010 को डिजीटल एड्रेसिबल केबल टीवी सिस्टम पर दिए गए प्रस्ताव से बात आगे बढ़ाई गई है, जबकि इससे पहले 14 जनवरी 2003 का भी उल्लेख किया जाना चाहिए था, क्योंकि भारतीय ब्राडकास्टिंग एण्ड केबल टीवी व्यवसाय पर तत्कालीन एन.डी.ए. की सरकार में सूचना व प्रसारण मन्त्री रहीं श्रीमति सुषमा स्वराज द्वारा भी कण्डीशनल एक्सेस सिस्टम CAS पर कानून लागू किए जाने की बाकायदा सरकारी घोषणा की गई थी। विदित हो कि CAS को भी चरणबद्ध तरीके से सारे देश में इम्प्लीमेंट किया जाना था, लेकिन सरकारें बदल जाने के बाद यू.पी.ए. सरकार कैस लागू किए जाने के पक्ष में नहीं थी, वहीं से ही यह सारा मामला ट्राई के सुपुर्द हो गया। परन्तु दिल्ली उच्चन्यायालय के आदेश के कारण 14 जनवरी 2003 का सरकारी आदेश 1 जनवरी 2007 को केवल प्रथम चरण ही लागू हो सका। प्रयास किया जाता तब से अभी तक तो CAS देशभर में ही लागू हो सकता था, वही पर्याप्त भी था। लेकिन अब DAS का कानून बना दिया गया है, जिसके अर्न्तगत एनालाग को पूर्णतया खत्म कर केबल टीवी सिस्टम को डिजीटल पर ले जाना सरकार की प्राथमिकता है।

कन्सल्टेशन पेपर्स में मांगे गए सुझावों पर भारतीय केबल टीवी व्यवसाय में सलंग्न केबल टीवी आपरेटरों के लिए अपनी राय दे पाना वास्तव में बहुत कठिन है। केवल वैबसाइट पर ही 93 पृष्ठों का यह पुलिंदा मात्र अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। लेकिन व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई सुझाव ट्राई को मिल जाएंगे। कन्ज्यूमर इन्ट्रेस्ट के अन्तर्गत बनाए गए ऐसे कानून का लाभ क्या वास्तव में कन्ज्यूमर को मिल सकेगा? यह सवाल सदैव इस कानून के साथ-साथ चलेगा। ऐसा कानून बनाने वालों के सम्मुख DAS के प्रथम चरण की जमीनी हकीकत यह है कि तकरीबन डेढ़ करोड़ सैटाप बॉक्स दिल्ली-मुम्बई और कोलकाता में 30 जून 2012 तक लगाये जाने चाहिए तभी कानून के अनुसार एनालाग सिस्टम को बन्द कर इन महानगरों में पूर्णतया DAS लागू हो पाएगा। पूरा चीन-कोरिया मिलकर भी इतनी बड़ी संख्या में सैटाप उपलब्ध नहीं करवा सकते है। तब बगैर सैटाप बॉक्स के DAS कैसे हो जाएगा? इस संदर्भ में सरकार को उनसे जो DAS लाना चाहते हैं लिखित में लेना चाहिए कि किसने कितने सैटाप बॉक्स मंगवाए हैं और वह कब तक मिलेंगे? उपभोक्ताओं के टैलिविजनों को DAS से जोड़ने के लिए एवं इतनी बड़ी संख्या में सैटाप बॉक्स लगाने के लिए कितनी मैनपावर तैयार है उनके पास? क्योंकि 30 जून 2012 के लिए अब 150 दिन भी नहीं रह गए हैं। कम से कम एक लाख + सैटाप बॉक्स रोजाना लगाए जाएं तभी DAS का प्रथम चरण पूर्ण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा सवाल है कि इन सैटाप बॉक्स के लिए कम से कम 19 अरब 87 करोड़ 50 लाख रूपयों का भुगतान भी विदेशी मुद्रा में किया जाना है, वह कहां से आएगा और क्या इसका प्रभाव भारतीय मुद्रा बाजार पर नहीं पड़ेगा? यह तो केवल DAS के प्रथम चरण की ही सच्चाई है, जबकि DAS के लिए बनाया गया कानून 31 दिसम्बर 2014 तक सारे देश में लागू किया जाना है।

कन्ज्यूमर हित में यह आवश्यक है कि उन्हें जबरन सैटाप बॉक्स, लेने के लिए विवश ना किया जाए। CII, FICCI, WBA, IBF, MSO,s MSO's Alliance एव COFI सहित ट्राई को भी देश के करोड़ों केबल टीवी उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट बताना चाहिए कि यह कानून उनको कैसे लाभ पहुंचा पाएगा? वर्तमान स्थितियों में अधिक से अधिक मनमाफिक चैनल बहुत ही कम कीमत में देश के करोड़ों केबल टीवी उपभोक्ताओं को उपलब्ध हैं, क्या DAS लागू हो जाने के बाद यह सारे चैनल उन्हें इससे कम कीमत में उपलब्ध होंगे? सरकार ने 800 से अधिक चैनलों के लायसैंस जारी कर रखें हैं, क्या उन सभी चैनलों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए यह कानून लाया गया है? इसके लिए सीधे दर्शकों से भी राय ले लेनी चाहिए थी। सरकार गर अपना टैक्स वसूलने के लिए ही यह कानून लाई है तो पूरा कर ना वसूल पाने के लिए सरकार का मैनेजमेंट जिम्मेदार है, वह पूर्व की ही भाँति सीधे-सीधे टीवी पर ही टैक्स लगा सकती थी। सरकार ने केबल टीवी पर एक नया कानून तो बना दिया है, लेकिन इस कानून का लाभ वास्तव में देश के करोड़ों केबल टीवी उपभोक्ताओं को भी मिल सकेगा, ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है। अपितु इसका लाभ सीधे-सीधे डीटीएच को मिलेगा। एनालाग बंद हो जाने के बाद जब उपभोक्ताओं का नियन्त्रण पूरी तरह से सैटाप बाक्स के द्वारा किया जाने लगेगा तब उन सैटाप बाक्स में बंद भारतीय उपभोक्ताओं की कीमत विश्व प्रसिद्ध केबल कम्पनियां लगा सकती हैं। क्या वास्तव में उन्हीं कम्पनियों के लिए रास्ते सुलभ

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)
B-262, Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736 Mobile : +91-9811110410, 9311110410

किए जा रहे हैं? यूं तो समूचा विश्व ही आज एक बाजार हो गया है। केबल टीवी में भी विदेशी कम्पनियां आएँ तो ऐतराज कैसा? लेकिन छद्म तरीके से क्यों, और वह भी कन्ज्यूमर इन्ट्रेस्ट की आड़ लेकर?

कन्सल्टेशन पेपर में दिए गए पहलुओं पर हमारी राय:-

A. बेसिक टियर में खेल, समाचार, बिजनेस, मनोरंजन, किड्स, धार्मिक, फिल्मों सहित दूरदर्शन के अनिवार्य चैनल भी क्षेत्रानुसार कम से कम 100 चैनल होने चाहिए।

B. बेसिक पैकेज के लिए शुल्क कम से कम 100 रू. मासिक होना चाहिए।

C. 100 रूपये + टैक्स

बेसिक टियर में फ्री टु एयर सहित एम.एस.ओ. चाहे तो कुछ पे चैनलों को भी दर्शकों के हित में उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। बेसिक टियर के लिए एम.एस.ओ. एवं एल.सी.ओ. के बीच रिवेन्यु शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एम.एस.ओ. को कैरिज फीस के साथ-साथ एडवर्टाइजमैंट से भी आय हो रही है। यह आय एल.सी.ओ. द्वारा पहुंचाए जा रहे एम.एस.ओ. के सिग्नल्स के कारण ही हो रही, है जिसमें एम.एस.ओ. आपरेटर के साथ रिवेन्यु शेयरिंग नहीं करता है।

पे चैनलों के लिए ब्रॉडकास्टर 35 प्रतिशत एम.एस.ओ. 30 प्रतिशत एवं एल.सी.ओ. 35प्रतिशत रिवेन्यु शेयरिंग होनी चाहिए।

एम.एस.ओ. का एल.सी.ओ. के साथ एवं कन्ज्यूमर के साथ अलग से एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि कन्ज्यूमर का पूर्णतया नियन्त्रण एस.एम.एस. द्वारा हैडण्ड से ही होगा।

मस्ट कैरी की कोई जरूरत नहीं है।

कन्ज्यूमर्स आडिट की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी।

कैरिज फीस तो डिमाण्ड एण्ड सप्लाई की भाँति है, इसके लिए नियम की कोई आवश्यकता नहीं है।

बिलिंग एम.एस.ओ. द्वारा ही तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन एल.सी.ओ. द्वारा ही कन्ज्यूमर तक जाना चाहिए।

प्री पेड बिलिंग का कोई अर्थ ही नही है।

क्वालिटी एवं सर्विसेस की जिम्मेदारी एस.एस.ओ. एवं एल.सी.ओ दोनो की होनी चाहिए।

विज्ञापन रहित चैनलों का स्वागत किया जाना चाहिए एवं उनको इसके लिए अतिरिक्त शुल्क भी मिलना चाहिए।

नान एड्रेसिबल डिजीटल सैटाप बॉक्स का कोई अर्थ नहीं।

खुदरा हो या फिर होल सेल लेकिन कुल मिलाकर 300 रूपए से अधिक की वसूली नहीं होनी चाहिए।

यह भी उल्लेखनीय है कि केबल टीवी सेवा पर लगाए जाने वाला कर देश भर में एक समान होना चाहिए।

किसी भी एम.एस.ओ. को अपनी कम्पनी बेचने में एल.सी.ओ. सहित उपभोक्ताओं की भी सहमति अनिवार्य होनी चाहिए।

उपभोक्ताओं को अपना सेवा प्रदाता एम.एस.ओ. बदलने का सदैव पूर्ण अधिकार होना चाहिए।

सैटाप बॉक्स प्रोप्राईटरी टैक्नालाजी पर नहीं होना चाहिए।

उपभोक्ताओं को केबल बिल भुगतान करने के लिए अन्य विकल्प भी खुले होने चाहिए लेकिन एल.सी.ओ. की आई डी अवश्य उस बिल में बनी रहनी चाहिए, जिससे कि उसका कमीशन एल.सी.ओ. को प्राप्त होता रहे।

प्रत्येक पे चैनल को अपनी दरे सदैव उपभोक्ताओं को प्रदर्शित की जानी चाहिए।

एम.एस.ओ. के साथ एल.सी.ओ. का बंधन ओपन होना चाहिए।

किसी भी विदेशी कम्पनी को अपना नेटवर्क (कन्ज्यूमर) सुपुर्द करने से पूर्व उपभोक्ताओं से भी सहमति ली जानी चाहिए।

अध्यक्ष

डा.ए.के. रस्तोगी

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)

B-262, Indra Nagar, Delhi-110 033

Telefax : +91-11-27672736 Mobile : +91-9811110410, 9311110410